न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02/2024

बउनवान

विनोद आयु 31 वर्ष पुत्र श्री जानकीलाल जाति गूर्जर, निवासी ग्राम खेड़लीकेशो, तहसील बारां, जिला बारां राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, कोयला, जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री राकेश गोचर, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 18.03.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कोयला के आदेश दिनांक 15.11.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम खेड़लीकेशो तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 277 रकबा 0.70 है., किस्म– चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानकर मानकर 350/– रूपये शास्ति आरोपित कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही दिया गया न ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। पत्रावली में अपीलांट का बेदखली नामा शामिल नही किया गया है, तथा अतिक्रमण वाली आराजी की पेमाईश भी नही की है, और न ही पेमाईश रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है तथा न ही कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतंत्र गवाहान के बयान भी नही लिये गए है। अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है, अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नही है। उक्त आराजियात खाली पडी हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.11.2022 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.27 13:21:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को नोटिस की विधिवत तामील नहीं करवाई गई है ना ही सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। अपीलांट को कभी बेदखल नही किया गया है तथा पत्रावली में पूर्व का बेदखली नामा शामिल नही किया गया है। अतिक्रमण वाली आराजी की पेमाईश भी नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.11.2022 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संवत 2077 के पी–14 की प्रति संलग्न है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1610/21 मे पारित निर्णय द्वारा बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अपीलांट ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने आरोपित जुर्माना राशि भी जमा करवा दी है। संवत 2077 के पी–14 की प्रमाणित प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 277 रकबा 0.70 है0 किस्म चारागाह ग्राम खेडलीकेशो पर सम्वत् 2077 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1610/21 में पारित निर्णय से बेदखल किया जाना अपीलाधीन निर्णय से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कोयला द्वारा प्रकरण संख्या 355/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दि[illegible] लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.27 13:21:03 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां